सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 228 राँची, सोमवार, 27 चैत्र, 1938 (श०)
17 अप्रैल, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 अप्रैल, 2017

संख्या-एल०जी०-01/2017-46/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 29 मार्च, 2017 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, **2017**

(झारखंड अधिनियम संख्या-10, 2017)

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत के गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित होः-

1- सक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना-

i) यह अधिनियम द्वारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा ।

ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

iii) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जिसे झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा -4(2) का संशोधन

उक्त अधिनियम, 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-4(2) में निम्नलिखित शब्द अंतस्थापित किये जायेंगे-

"आयोग में एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
7 अप्रैल, 2017

संख्या-एल०जी०-01/2017-47/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2017 को अनुमत झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE MINORITY COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2017

(JHARKHAND ACT, 10, 2017)

An Act to amend the Bihar State Minorities Act, 1991 (Adopted) now the Jharkhand State Minorities Commission Act, 2001.

Be it enacted by The Jharkhand State Legislature in the sixty-eight year of the Republic of India, as follows:-

1. **Short title, extent and commencement-**

(i) This Act may be called The Jharkhand State Minorities Commission (Amendment) Act, 2017

(ii) It shall be extended to the whole of the state of Jharkhand.

(iii) It shall come into force on and from the date of its publication in the official gazette.

2. **Amendment of section 4(2) of the Bihar Minorities Commission Act, 1991 (Adopted) now the Jharkhand State Minorities Commission Act,2001 shall be amended as following-**

"The Commission shall consist of a Chairman, three Vice-Chairman and maximum eight other Members who shall be nominated by the State government."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 228--50 ।